



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

शक्ति-भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ।

संख्या : 3766-अ0प्र0(2अ)/पा0का0लि0/2012-5ई0एम0(2ए)/2008

दिनांक : 8 अगस्त, 2012

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की विज्ञापित संख्या: 131-विनियम/पाकालि/07/ए0एस0आर0/85 दिनांक 14.09.07 द्वारा प्रख्यापित उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद लेखाधिकारी (प्रथम संशोधन-2007) सेवा विनियामावली 1984 के प्राविधानानुसार 8.33 प्रतिशत कोटे के अन्तर्गत लेखाधिकारी के पदों पर सी0ए0/आई0सी0डब्लू0ए0 फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण विभागीय कार्मिकों से सीमित विभागीय परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर विद्युत सेवा आयोग द्वारा सफल घोषित लेखा स्कन्ध के निम्नलिखित अभ्यर्थी को एतद्वारा लेखाधिकारी के पद पर प्रोन्नत किया जाता है तथा स्तम्भ संख्या-03 में उल्लिखित वर्तमान तैनाती कार्यालय/स्थान से स्थानान्तरित कर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी/स्थानापन्न लेखाधिकारी के पद पर नियुक्त तथा स्तम्भ संख्या-04 में उल्लिखित कार्यालय/स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्रम सं०	नाम/गृह जनपद	वर्तमान तैनाती का कार्यालय/स्थान	प्रोन्नति/स्थानान्तरण के पश्चात् तैनाती का कार्यालय/स्थान
1	2	3	4
1.	श्री प्रमोद कुमार शर्मा (गृह जनपद-कानपुर)	खण्डीय लेखाकार (कार्य) विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय, इटावा	लेखाधिकारी, दक्षिणांचल वि०वि०नि०लि०, आगरा को आवंटित।

- उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका संख्या:-79/1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय दिनांक 21-03-2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप हैं।
- उपर्युक्त कार्मिक द्वारा प्रोन्नत पद पर एक माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है, तत्पश्चात् उपर्युक्त आदेश स्वतः निरस्त माने जाएंगे।
- उपर्युक्त प्रोन्नति के आदेश निगमन की तिथि अथवा कार्यभार ग्रहण करने का दिनांक, जो भी बाद में हो, से प्रभावी होंगे।
- उपर्युक्त स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल अवमुक्त कर दिया जाये।
- कारपोरेशन को ज्ञापांक 2900-प्रशि०-10/पाकालि दिनांक 23.12.03 के प्राविधानानुसार उपर्युक्त कार्मिक को मुख्य अभियन्ता, प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास उ०प्र० पाकालि, लखनऊ द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण कराया जायेगा जिसमें इनका भाग लेना अनिवार्य होगा साथ ही उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), केन्द्रीय लेखा कार्यालय, लखनऊ द्वारा भी यथा आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किये जाने की व्यवस्था की जायेगी।

प्रबन्ध निदेशक

संख्या : 3766-अ0प्र0(2अ)/पा0का0लि0/2012 तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, के निजी सचिव/समस्त निदेशक/अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय/अराजपत्रित) के निजी सचिव, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणान्चल/मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा/लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/केस्को लि०, कानपुर।
- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)/मुख्य अभियन्ता (स्तर-2)/मुख्य महा प्रबन्धक/महा प्रबन्धक, उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र०पा०ट्रांसमिशन का०लि०।
- मुख्य अभियन्ता (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास) ई०टी०आई० सरोजनीनगर, लखनऊ/उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन) केन्द्रीय लेखा कार्यालय, लखनऊ।
- अधिशाली अभियन्ता (वेब), उ०प्र०पा०का०लि०, कमरा नं०-407, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अनु सचिव (गोपन), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- सम्बन्धित कार्मिक/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल।

आज्ञा से,

(ए०के०पुनवार) 08/8/12

उप सचिव-अ०प्र०(2अ)

७